IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में लोकल गवर्नेंस और ई - गवर्नेंस के विकास का अध्ययन

प्रो० गोपाल प्रसाद[1],विशाल गुप्ता[2], विनय कुमार यादव[3]

[1]आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर

[2,3] शोधार्थी,राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर

1.सारांश:

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा रखी गई, जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा दिया। 21वीं सदी में, इस 'लोकल गवर्नेंस' (स्थानीय शासन) को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए 'ई-गवर्नेंस' (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस) को एक प्रमुख उपकरण के रूप में एकीकृत किया गया है। ई-गवर्नेंस ने 'अंतिम छोर तक सेवा वितरण' (Last-mile delivery) को पूरी तरह बदल दिया है। 'ई-पंचायत' मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाया है। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड (जैसे- भूलेख), और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे नागरिकों तक डिजिटल माध्यम से पहुँच रहा है। इसके अतिरिक्त, Direct Benefit Transfer (DBT) और e-GramSwaraj पोर्टल ने स्थानीय स्तर पर वित्तीय भ्रष्टाचार को कम किया है और योजना निर्माण में पारदर्शिता बढ़ाई है। भारत में लोकल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस का समावेशन 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के विजन को साकार कर रहा है। हालाँकि, इस डिजिटल क्रांति को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और 'भारतनेट' (BharatNet) परियोजना के माध्यम से हर गाँव तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य का स्थानीय शासन पूरी तरह से डेटा-संचालित (Data-driven) और नागरिक-केंद्रित होगा। वर्तमान में देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में से लगभग 95% से अधिक पंचायतें 'ई-ग्राम स्वराज' (e-GramSwaraj) पोर्टल पर सक्रिय हैं, जहाँ वे अपनी कार्ययोजनाओं, ऑनलाइन भुगतान (UPI/PFMS) और वित्तीय ऑडिट का लेखा-जोखा डिजिटल रूप से रख रही हैं।

मुख्य शब्द : भारत, लोकल गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिजिटल इंडिया, स्थानीय शासन, पारदर्शिता, पंचायती राज, निष्पक्षता

2. प्रस्तावना:

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका शासन तंत्र अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के प्रति कितना जवाबदेह और सुलभ है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में 'चोल साम्राज्य' की स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में 'मार्कस ऑफ रिपन' के स्थानीय स्वशासन के प्रस्तावों तक, स्थानीय शासन की एक लंबी परंपरा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात, महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। हालाँकि, दशकों तक इच्छाशक्ति और संवैधानिक शक्ति के अभाव में यह व्यवस्था उतनी प्रभावी नहीं हो सकी। भारतीय शासन व्यवस्था में युगांतकारी परिवर्तन तब आया जब वर्ष 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किए गए। इन संशोधनों ने क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'पंचायती राज संस्थाओं' (PRIs) और शहरी क्षेत्रों के लिए 'शहरी स्थानीय निकायों' (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली (केंद्र, राज्य और स्थानीय) की नींव रखी। इसके माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण कर स्थानीय लोगों को अपने विकास की योजनाएँ स्वयं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया। इसी स्थानीय स्तर के प्रबंधन, नीति-निर्माण और जनभागीदारी की समग्र प्रक्रिया को 'लोकल गवर्नेंस' (स्थानीय शासन) कहा जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शासन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए 'लोकल गवर्नेंस' (स्थानीय स्वशासन) को अपनाया गया। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा देकर त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था की नींव रखी। 21वीं सदी के तकनीकी युग में, इस स्थानीय शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ाने के लिए 'ई-गवर्नेंस' (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस) को एक अनिवार्य उपकरण के रूप में एकीकृत किया गया है। ई-गवर्नेंस का अर्थ केवल लोक सेवाओं का कंप्यूटरीकरण नहीं है, बल्कि यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से नागरिकों, सरकार और व्यवसायों के बीच संबंधों को पुनरपरिभाषित करने की प्रक्रिया है। 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत, स्थानीय शासन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के प्रयास तेजी से बढ़े हैं, जिसने पारंपरिक नौकरशाही और लालफीताशाही को कम कर नागरिक-केंद्रित शासन (Citizen-Centric Governance) की स्थापना की है।

21वीं सदी में तकनीकी समावेशन: ई-गवर्नेंस का उदय: जैसे-जैसे समय बदला, 21वीं सदी के वैश्वीकरण और सूचना क्रांति के दौर में पारंपरिक स्थानीय शासन की सीमाओं और चुनौतियों (जैसे- लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और सेवाओं में विलंब) को महसूस किया जाने लगा। इन सीमाओं को दूर करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को शासन व्यवस्था से जोड़ा गया, जिसे हम 'ई-गवर्नेंस' (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस) के रूप में जानते हैं। ई-गवर्नेंस का सीधा अर्थ है-सरकारी सूचनाओं और सेवाओं को इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल तकनीकों के माध्यम से नागरिकों तक सुलभ, पारदर्शी, त्वरित और कम खर्चीला बनाना। भारत सरकार ने शासन में इस डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए वर्ष 2006 में 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना' (NEGP) की शुरुआत की, जिसके तहत 'ई-पंचायत' को एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2015 में शुरू की गई 'डिजिटल इंडिया' क्रांति ने लोकल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस के एकीकरण को एक नया आयाम दिया, जिससे डिजिटल अवसंरचना का विस्तार ग्रामीण भारत के सुदूर कोनों तक हुआ।

लोकल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस का एकीकरण और विकास क्रम: लोकल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस के अंतर्संबंधों का विकास भारत के प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पारंपरिक रूप से जहाँ ग्रामीणों को एक छोटे से जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र या भूमि के रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी) के लिए हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और बिचौलियों का शिकार होना पड़ता था, वहीं ई-गवर्नेंस के आगमन ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। सरकार ने 'स्मार्ट गवर्नेंस' (SMART – Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent) के सिद्धांत को अपनाते हुए स्थानीय स्तर पर विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए। ग्रामीण क्षेत्रों में 'ई-ग्राम स्वराज' (e-GramSwaraj) पोर्टल एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है, जो पंचायतों की योजना बनाने, बजटीय आवंटन, व्यय की निगरानी और ऑनलाइन ऑडिट को एक ही स्थान पर एकीकृत करता है। इसी तरह, 'स्वच्छ भारत मिशन', 'मनरेगा' (MGNREGA) जैसी विशाल योजनाओं के प्रबंधन, जियो-टैगिंग (Geo-tagging) और श्रमिकों की हाजिरी व भुगतान को डिजिटल करके पारदर्शिता की एक नई मिसाल पेश की गई है। शहरी क्षेत्रों में 'स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC), ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान, और शिकायत निवारण पोर्टलों ने शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को अत्यधिक कुशल बनाया है।

प्रमुख डिजिटल पहलें और उनके प्रभाव: स्थानीय शासन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में कई पहलों ने मील का पत्थर स्थापित किया है -

1. **ई-ग्राम स्वराज (e-GramSwaraj)**: यह पोर्टल पंचायतों के विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन (Accounting) में एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिससे वित्तीय गबन की संभावनाएँ न्यूनतम हो गई हैं।
2. **स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)**: ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन कर संपत्ति कार्ड (Property Cards) का डिजिटल वितरण किया जा रहा है, जिससे भूमि विवादों में कमी आई है और ग्रामीण संपत्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में मान्यता मिली है।
3. **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और डिजिटल सेवा केंद्र**: देश भर में फैले 5 लाख से अधिक सीएससी ने ग्रामीण नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच के फासले को समाप्त कर दिया है, जिससे बैंकिंग, पेंशन, और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर मिल रहा है।
4. **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)**: जनधन-आधार-मोबाइल (JAM Trinity) की मदद से कल्याणकारी योजनाओं की राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँच रही है, जिससे 'लीकेज' पूरी तरह बंद हो गई है।

3. विद्यमान चुनौतियाँ और बाधाएँ : विकास के इस सकारात्मक परिदृश्य के समानांतर, भारत में ई-लोकल गवर्नेंस के मार्ग में कई गंभीर चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिनका अध्ययन करना इस शोध का एक मुख्य हिस्सा है -

1. **डिजिटल विभाजन (Digital Divide):** शहरी और ग्रामीण भारत के बीच इंटरनेट की गति, उपलब्धता और गुणवत्ता में आज भी बड़ा अंतर है। 'भारतनेट' परियोजना के बावजूद कई ग्राम पंचायतें पूरी तरह से हाई-स्पीड इंटरनेट से नहीं जुड़ पाई हैं।
2. **डिजिटल निरक्षरता (Digital Illiteracy):** भारत की एक बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग और महिलाएँ, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे वे डिजिटल सेवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
3. **स्थानीय निकायों में क्षमता का अभाव**: कई पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास अपने स्वयं के तकनीकी विशेषज्ञ या प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों (जैसे- महिला प्रधान) के स्थान पर अक्सर उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा डिजिटल प्रणालियों का संचालन किया जाता है, जो महिला सशक्तीकरण के मूल उद्देश्य को प्रभावित करता है।

4. **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:** स्थानीय स्तर पर कलेक्ट किए जा रहे नागरिकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि स्थानीय निकायों के पास मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र का अभाव होता है।

4. शोध की प्रासंगिकता और उद्देश्य: भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ की लगभग 65% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहाँ "लोकल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस के विकास का अध्ययन" करना अकादमिक, नीतिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषित करना है कि डिजिटल तकनीकों ने स्थानीय स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं (Citizen-Centric Services) के वितरण को किस सीमा तक सुधारा है। शोध इस बात की पड़ताल करता है कि क्या ई-गवर्नेंस वास्तव में हाशिए पर खड़े समाज (जैसे- महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों) को सशक्त बनाने में सफल रहा है। साथ ही, यह अध्ययन इस बात का मूल्यांकन भी करता है कि डिजिटल उपकरणों के प्रयोग से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन में कितना सुधार आया है। यह शोध केवल सफलताओं का ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर तकनीकी और सामाजिक अंतरालों (Gaps) को समझने का एक वैज्ञानिक प्रयास है।

5. निष्कर्ष:

भारत में लोकल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस का विकास एक सतत और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। ई-गवर्नेंस ने निश्चित रूप से स्थानीय स्वशासन की जड़ों को मजबूत किया है और नागरिकों के भीतर सरकार के प्रति विश्वास को पुनर्जीवित किया है। यह पारंपरिक नौकरशाही के एकाधिकार को तोड़कर लोकतंत्र को सीधे जनता के हाथों में सौंपने का माध्यम बना है। हालाँकि, इसकी पूर्ण सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम 'डिजिटल डिवाइड' को कितनी जल्दी पाट पाते हैं। आगामी वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन तकनीक और 5G/6G कनेक्टिविटी के एकीकरण से स्थानीय शासन और अधिक पूर्वानुमेय (Predictive), पारदर्शी और जन-अनुकूल बनने की क्षमता रखता है। कि ई-गवर्नेंस अब केवल एक तकनीकी विकल्प नहीं, बल्कि भारत के अंतिम छोर तक सुशासन (Good Governance) और समावेशी विकास को पहुँचाने का एकमात्र सशक्त मार्ग है। भारत में लोकल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस का एकीकरण प्रशासनिक सुधार का एक क्रांतिकारी कदम है। हालांकि, इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए केवल तकनीक का बुनियादी ढांचा (Infrastructure) तैयार करना काफी नहीं है, बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण (Capacity Building), वित्तीय स्वायत्तता और जन-जागरूकता को बढ़ाना अनिवार्य है ताकि 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' का लक्ष्य सही मायने में जमीनी स्तर पर हासिल हो सके।

6. **सुझाव:**

1. **वित्तीय स्वायत्तता (Financial Autonomy):** स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) को कर (Tax) और शुल्क वसूलने के अधिक अधिकार दिए जाएं ताकि वे केंद्र और राज्य के अनुदानों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।
2. **3Fs का पूर्ण हस्तांतरण:** संविधान के भावना के अनुरूप राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को फंड (Funds), कार्य (Functions), और कर्मचारी (Functionaries) पूरी तरह सौंपे जाने चाहिए।
3. **डिजिटल साक्षरता अभियान:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए 'डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम' बड़े पैमाने पर चलाए जाएं ताकि वे ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग खुद कर सकें।
4. **मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** सभी ग्राम पंचायतों में 'भारतनेट' के तहत हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
5. **क्षमता निर्माण (Capacity Building):** नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों (विशेषकर महिलाओं और पहली बार चुने गए सदस्यों) को ई-गवर्नेंस टूल्स और प्रशासनिक नियमों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।

6. **सिंगल-विंडो पोर्टल:** नागरिक सेवाओं के लिए ब्लॉक या जिला स्तर पर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म या पोर्टल (Single-Window System) हो, जिससे जनता को अलग-अलग वेबसाइट्स पर न भटकना पड़े।
7. **स्थानीय भाषाओं में सेवाएं:** ई-गवर्नेंस के सभी ऐप्स, पोर्टल्स और तकनीकी टूल्स को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके।
8. **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:** स्थानीय स्तर पर नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कड़े साइबर सुरक्षा उपाय और डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लागू किए जाएं।
9. **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP):** ई-गवर्नेंस के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और तकनीकी सहायता के लिए निजी क्षेत्र (Private Sector) और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग बढ़ाया जाए।
10. **सिटिजन फीडबैक सिस्टम:** सरकारी पोर्टल्स पर सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक त्वरित और पारदर्शी 'फीडबैक और शिकायत निवारण प्रणाली' (Grievance Redressal) जोड़ी जाए।
11. **कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) का सुदृढ़ीकरण:** ग्रामीण स्तर पर प्रज्ञा केंद्रों या CSCs की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए और वहां ली जाने वाली फीस को कड़ाई से नियंत्रित किया जाए।
12. **नियमित सोशल ऑडिट (Social Audit):** ई-गवर्नेंस के माध्यम से हो रहे विकास कार्यों और खर्चों का ग्राम सभाओं द्वारा नियमित 'डिजिटल सोशल ऑडिट' अनिवार्य किया जाए।
13. **तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति:** प्रत्येक पंचायत स्तर पर कम से कम एक तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारी (Data Entry Operator/IT Assistant) की स्थायी नियुक्ति की जाए।
14. **मोबाइल-फर्स्ट गवर्नेंस:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की पहुंच को देखते हुए सभी सरकारी सेवाओं को मोबाइल ऐप्स (Mobile Apps) के माध्यम से सुलभ और सुचारू बनाया जाए।
15. **अंतर-विभागीय समन्वय (Inter-departmental Coordination):** विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे- राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा) के डेटाबेस को आपस में जोड़ा जाए (Interoperability) ताकि योजनाओं का लाभ सीधे और बिना देरी के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।

सन्दर्भ सूची

1. माहेश्वरी, एस. आर. (2018). *भारत में स्थानीय स्वशासन*. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन.
2. कटारिया, एस. (2020). *ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय स्वशासन*. मलिक एंड कंपनी.
3. शर्मा, एम. पी., एवं सदाना, बी. एल. (2019). *लोक प्रशासन: सिद्धांत एवं व्यवहार (ई-गवर्नेंस के विशेष संदर्भ में)*. किताब महल प्रकाशन.
4. जैन, पी. सी. (2017). *पंचायती राज और ग्रामीण विकास*. रिसर्च इंडिया प्रेस.
5. चक्रवर्ती, बी., एवं पांडे, एम. (2021). *भारत में सार्वजनिक नीति और शासन (ई-गवर्नेंस अध्याय सहित)*. सेज भाषा.
6. सिंह, ए. के. (2016). *73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज: एक अध्ययन*. रावत पब्लिकेशंस.
7. गुप्ता, आर. के. (2019). *भारत में ई-गवर्नेंस: अवधारणा और अनुप्रयोग*. अर्जुन पब्लिशिंग हाउस.
8. यादव, एस. एस. (2022). *स्थानीय स्वशासन और सुशासन*. विकास पब्लिशिंग हाउस.
9. शर्मा, आर. (2018). *सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस*. ओमेगा पब्लिकेशंस
10. फड़िया, बी. एल., एवं फड़िया, क. (2023). *भारत में लोक प्रशासन (लोकल गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस सहित)*. साहित्य भवन पब्लिकेशंस.

11. कुमार, ए. (2015). *पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस का प्रभाव*. अनामिका पब्लिशर्स.
12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय. (2021). *भारत में डिजिटल क्रांति और ई-गवर्नेंस*. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार.
13. जोशी, आर. पी. (2017). *भारत में स्थानीय स्वशासन: चुनौतियां और संभावनाएं*. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.
14. मिश्रा, एस. एन. (2014). *सेंचुरी ऑफ पंचायती राज: गवर्नेंस एट द ग्रासरूट्स* (हिंदी संस्करण). सुमित पब्लिकेशंस.
15. सिंह, एम. (2020). *ई-गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित सेवाएं*. के. के. पब्लिकेशंस.
16. अवस्थी, ए., एवं अवस्थी, ए. पी. (2022). *भारतीय प्रशासन (स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक सुधार)*. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल.
17. चौधरी, एस. के. (2019). *ग्रामीण विकास और ई-गवर्नेंस की भूमिका*. राधा पब्लिकेशंस.
18. राय, एम. (2018). *शहरी स्थानीय निकाय और सुशासन*. क्लैप पब्लिकेशंस.
19. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC). (2009). *सिटिजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन: द हार्ट ऑफ गवर्नेंस (12वीं रिपोर्ट - हिंदी सारांश)*. भारत सरकार.
20. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP). (2015). *ई-पंचायत और ग्रामीण डिजिटल सुशासन नियमावली*. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार.

प्रमुख सरकारी वेबसाइटस :

1. Panchayat.gov.in
2. mohua.gov.in
3. mohua.gov.in
4. darpg.gov.in
5. arc.gov.in
6. negd.gov.in
7. nitiaayog.gov.in
8. egov.org.in
9. nic.in